70

संख्या-2598/XVIII(II)/2011-3(44)/2011

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनःदिनांकः 11 नवम्बर,2010

विषयः-मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप, ग्राम डाण्डा लखौण्ड युद्ध में शहीद हुये गढ़वाल राईफल्स के वार विधवाओं के लड़के व लड़कियों के लिए, छात्रावास का निर्माण किये जाने हेतु, ग्राम डाण्डा लखौण्ड, जिला देहरादून में 1.6940 है0 भूमि, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के स्थान पर गढ़वाल राईफल्स रेजीमेन्टल केन्द्र को, पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-1029/XVIII(II)/2011-3(44)/2011, दिनांक-23.8.2011 एवं कमाण्डेंट गढ़वाल राईफल्स रेजीमेन्टल केन्द्र, लैंसडौन के पत्र संख्या--1803, दिनांक-31.8.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप, ग्राम डाण्डा लखौण्ड युद्ध में शहीद हुये गढ़वाल राईफल्स के वार विधवाओं के लड़के व लड़कियों के लिए, छात्रावास का निर्माण किये जाने हेतु, ग्राम डाण्डा लखौण्ड, जिला देहरादून में 1.6940 है0 भूमि, सैनिक कल्याण विभाग, के स्थान पर गढ़वाल राईफल्स रेजीमेन्टल केन्द्र को शासनादेश संख्या-258/16(1)/73--रा-1 दिनांक-09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या--1695/97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक-12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत, वर्तमान प्रचलित बाजार दर के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त एवं उक्त भूमि के मालगुजारी के 100 गुने के बराबर धनराशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन, पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 150/1/85(24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

.....................2

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) प्रश्नगत भूमि पर, वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत, नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या–1 से 6 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2– उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0–2598/संमदिनांकित/2011

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. कमाण्डेंट गढ़वाल राईफल्स रेजीमेन्टल केन्द्र, लैंसडौन, पौड़ी गढवाल।
5. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।